फाइल संख्या-15011/36/2022-न्याय-(एयू)-ई6889
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग से संबंधित जनवरी, 2024 माह का मासिक सार ।

न्याय विभाग की जनवरी, 2024 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

1. **माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 28.01.2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय की हीरक जयंती पर शुभारंभ की गई नागरिक केंद्रित ई-सेवाएं ।**

28 जनवरी, 2024 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में निम्नलिखित 3 नागरिक केंद्रित ई-सेवाएं लॉन्च की गई ।

क **डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डीजी एससीआर)** : वर्ष 1950 से 36,000 से अधिक मामलों को शामिल करते हुए उच्चतम न्यायालय के फैसलों के 519 खंडों को उपयोगकर्ता के अनुकूल, बुकमार्क और पूरी तरह से निशुल्क डिजिटल प्रारूप जनता के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है ।

ख **डिजिटल कोर्ट 2.0 :** ई-कोर्ट परियोजना को अगले स्तर पर ले जाते हुए, डिजिटल कोर्ट 2.0 जिला अदालत के न्यायाधीशों को अदालत के रिकॉर्ड तक इलेक्ट्रॉनिक पहुंच प्रदान करता है, न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है और देरी को कम करता है । वास्तविक समय में भाषण-से-पाठ प्रतिलेखन के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का एकीकृत उपयोग दक्षता और सटीकता को और भी बढ़ाता है, जो कागज रहित, तकनीक-संचालित न्यायपालिका की दिशा में एक साहसिक कदम है ।

ग **उच्चतम न्यायालय की नई वेबसाइट:** S3WaaS (एक सेवा के रूप में सुरक्षित, मापनीय और सुगम्य वेबसाइट) प्लेटफॉर्म पर संशोधित और द्विभाषी (अंग्रेजी-हिंदी) वेबसाइट है जिसमें नेविगेशन को सरल बनाने, सूचना प्रसार को बढ़ाने, उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल इंटरफेस है और यह नागरिकों को न्यायपालिका के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने के लिए सशक्त बनाती है और डाटा को अधिक पहुँच योग्य बनाती है ।

2. **भारत के 75वें गणतंत्र का स्मृति समारोह**

भारत के 75वें गणतंत्र को यादगार बनाने के लिए न्याय विभाग ने 24 जनवरी, 2024 को एक अखिल भारतीय वर्षव्यापी अभियान ''हमारा संविधान, हमारा सम्मान" शुरू किया । यह अभियान भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत के माननीय अटॉर्नी जनरल के साथ-साथ कुलपति (इग्नू) और सचिव (न्याय), की गरिमामनी उपस्थिति में शुरू किया गया था । इस अभियान का उद्देश्य संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना, नागरिकों को पंच प्रण के साझा सिद्धांतों के बारे में संवेदनशील बनाना और नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और हकों और सरकार की अन्य कानूनी सेवाओं के बारे में शिक्षित करना है, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर, माई गांव प्लेटफॉर्म, दूरदर्शन और न्याय विभाग की अन्य भागीदार एजेंसियां के सहयोग से विविध नागरिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा । इस महत्वपूर्ण अवसर पर, न्याय विभाग ने अपना न्याय सेतु (एआई चैटबॉट और टेली-सुविधा सेवा) लॉन्च किया और इग्नू और भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान-किया ।

इसमें सबको न्याय-हर घर न्याय शामिल है, जिसमें 2.5 लाख + ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) नागरिकों को क्षेत्रीय भाषाओं में पंच प्रण प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे; सरकार की विभिन्न सामाजिक-कानूनी नागरिक-केंद्रित सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय-मेला आयोजित किए जाएंगे । नव भारत-नव संकल्प के तहत नागरिकों को पंच प्रण प्रतिज्ञा के वाचन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा; ऑनलाइन क्विज़ के माध्यम से संविधान पर उनके ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, पोस्टर-मेकिंग और रील-मेकिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागिता से उनकी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया जाएगा। विधि जागृति अभियान का उद्देश्य कानून के छात्रों को नुक्कड़ नाटक, नृत्य नाटक, प्रहसन आदि जैसी उत्साही और आकर्षक गतिविधियों में नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और पंच प्राण के बारे में सशक्त बनाने के लिए शामिल करना है, वंचित वर्ग सम्मान अभियान और नारी भागीदारी श्रृंखला की गतिविधियों के माध्यम से न्याय विभाग की भागीदार एजेंसियों द्वारा दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिकों, आदिवासी और वन अधिकारों, बाल अधिकारों, महिला भागीदारी और सशक्तिकरण के अधिकारों पर कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए दूरदर्शन के माध्यम से अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे ।

डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के भीम ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम को देखने के लिए 650 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे, जिनमें विधि के छात्र, विधि शिक्षक, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, नालसा के प्रतिनिधि, पैरालीगल, वीएलई और सीएससी, के अधिकारी मीडिया आदि शामिल थे । विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल (यूट्यूब, एक्स, फेस बुक, इंस्टाग्राम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) के माध्यम से 70 लाख से अधिक दर्शकों तक पहुंचा गया।

3. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना :

क. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर, दिनांक 02.01.2024 तक, 24.79 करोड़ से अधिक मामलों और कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 24.53 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

ख. ई-सेवा केंद्र : दिनांक 31.12.2023 तक, 25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 880 ई-सेवा केंद्र चालू किए गए हैं ।

ग. वर्चुअल कोर्ट: 25 वर्चुअल कोर्ट द्वारा 4.24 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 47 लाख से अधिक मामलों में, दिनांक 31.12.2023 तक 492.79 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया है ।

घ. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:

- दिनांक 31.12.2023 तक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 2,17,99,976 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 82,76,595 मामलों की सुनवाई की अर्थात कुल 3 करोड़ मामलों की सुनवाई की गई ।
- उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 04.01.2024 तक 6,24,427 सुनवाई कीं ।

ङ. ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप : ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की दिनांक 31.12.2023 तक कुल संख्या 2.15 करोड़ पहुँच गई है ।

च. JustIS ऐप : न्यायिक अधिकारियों के लिए मोबाइल ऐप दिनांक 31.12.2023 तक डाउनलोड करने की कुल संख्या- 19,461 है ।

4. टेली-लॉ: वंचितों तक पहुंचना

क. माह के दौरान, ग्राम स्तरीय उद्यमियों/पैरा-कानूनी स्वयंसेवकों (वीएलई/पीएलवी), राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 37 जिलों में आयोजित 50 जागरूकता सत्रों/शिविरों में 1828 लोगों ने भाग लिया ।

ख. माह के दौरान, 2716 ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) ने 55 प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया, जो 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 73 जिलों में आयोजित किए गए थे ।

ग. माह के दौरान, 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 328 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में घर-घर कानूनी सेवाएं और अन्य आवश्यक सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए 500 न्याय सहायकों को लगाया गया था ।

5. न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम:

माह के दौरान, 68 नए प्रो-बोनो अधिवक्ताओं ने न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराया । कुल 10,779 (पुरुष-9028, महिला-1749, ट्रांसजेंडर-02) प्रो-बोनो अधिवक्ताओं को न्याय बंधु पोर्टल के तहत शामिल किया गया है ।

6. कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी):

क. बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बीआईपीएआरडी), पटना, बिहार ने दिनांक 20-21 जनवरी, 2024 को मुजफ्फरपुर जिले के 108 न्याय मित्रों के साथ और 29-30 जनवरी, 2024 को सीतामढी जिले के 102 न्याय मित्रों के साथ अलग-अलग कार्यशालाओं का आयोजन किया । इन कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञों ने दहेज निषेध, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह, साइबर अपराध, मानव तस्करी और नशा मुक्ति से संबंधित कानूनों पर परस्पर संवादात्मक सत्र आयोजित किए ।

ख. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु, कर्नाटक ने 23 जनवरी 2024 को 600 प्रतिभागियों के लिए 'वर्चुअल मध्यस्थता कार्यशाला' का आयोजन किया । इस कार्यशाला में मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएं, मध्यस्थता का महत्व और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को विषय विशेषज्ञों द्वारा साझा किया गया और उन पर चर्चा की गई ।

7. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, और कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने 25 जनवरी, 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर "युवाओं को बहाल करना : जेलों में किशोरों की पहचान करने और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय अभियान - 2024", एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया । यह अभियान 25 जनवरी,

2024 से 27 फरवरी, 2024 तक चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन कैदियों की पहचान करना है जो अपराध के समय संभावित रूप से नाबालिग थे, और उन्हें संबंधित अदालत के समक्ष किशोरता का दावा करने के लिए आवश्यक अर्जी दाखिल करने और पहचाने गए मामलों में बाल देखभाल संस्थानों में उनके स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने में सहायता प्रदान करना है ।

*****